## न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र/61 /2022

मुख्य सिपाही प्रदीप कुमार न. 852/जीजीएम पुलिस चौकी जमालपुर, थाना विलासपुर, जिला गुरुग्रांम (हरियाणा)

.....प्रार्थी0

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक भरतपुर

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी सम्बन्धित वाहन कैन्टर रजि. नं. यूपी 77–AN-4963 इंजन E42CDJB196372 चैसिस नम्बर MC2G3HRCOJBI40797 माडल 2018 रंग न्यू गोल्डन ब्राउन सम्बन्धित प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 22/2022 अन्तर्गत धारा 3, 5, 6, 8 राजस्थान गोवंश अधिनियम, पुलिस थाना कोतवली भरतपुर (राजस्थान)

**उपस्थित :–**
1–श्री प्रदीप कुमार,मुख्य सिपाही प्रार्थी,
2–ए0पी0पी0 पैरोकार सरकार अप्रार्थी

### निर्णय

दिनांक 3.6.2022

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी इस आश्य का पेश किया गया है जो संक्षेप में इस प्रकार है कि वाहन कैन्टर रजि. नं. यूपी 77–AN-4963 इंजन E42CDJB196372 चैसिस नम्बर MC2G3HRCOJBI40797 माडल 2018 रंग न्यू गोल्डन ब्राउन की चोरी शुदा की एक एफआईआर संख्या 19/2022 अन्तर्गत धारा 379 आईपीसी थाना विलासपुर जिला गुरुग्रांम हरियाणा पर दर्ज हुई है। उक्त वाहन पुलिस थाना कोतवाली भरतपुर (राजस्थान) द्वारा एफआईआर नंबर 22/2022 अन्तर्गत धारा 3, 5, 6, व 8 राजस्थान गौंवश अधिनियम में जप्त किया हुआ है। उक्त जप्त वाहन की आवश्यकता है, प्रार्थी नियमानुसार अपनी सुपुर्दगी में लेना चाहता है, जिसके लिये प्रार्थी समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करने के लिये तैयार है। उक्त जप्त वाहन को प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिये जाने के आदेश दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर, पुलिस थाना कोतवाली भरतपुर से पत्रावली तलब की गई। उपस्थित उभय पक्षकारान को सुना गया।

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

प्रार्थी मुख्य सिपाही ने अपने कथनों में प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी में कथनो को दोहराते जाहिर किया कि वाहन कैन्टर रजि. नं. यूपी 77–AN-4963 श्यामवीर पुत्र लालाराम यादव ने उक्त वाहन चौरी की रिपोर्ट की जिसकी एफआईआर संख्या 19/2022 अन्तर्गत धारा 379 आईपीसी थाना विलासपुर जिला गुरुग्रांम हरियाणा दर्ज है। उक्त वाहन थाना कोतवाली भरतपुर में एफआईआर नंबर 22/2022 अन्तर्गत धारा 3, 5, 6, व 8 राजस्थान गौंवश अधिनियम में जप्त किया हुआ है। उक्त वाहन की आवाश्यकता है। प्रार्थी ने उक्त जप्त वाहन को सुपुर्दगी में दिये जाने की प्रार्थना की ।

पैराकार सरकार ए.पी.पी. ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि प्रार्थी वाहन का मालिक नहीं है। उक्त वाहन थाना कोतवाली भरतपुर में एफआईआर नंबर 22/2022 अन्तर्गत धारा 3, 5, 6, व 8 राजस्थान गौंवश अधिनियम में जप्त किया हुआ है। उक्त वाहन प्रतिबन्धित गौवंश को राजस्थान से बाहर हरियाणा राज्य में परिवहन में लिप्त पाये जाने पर धारा 3,5,8 में जप्त किया गया है। ए.पी.पी. ने राजस्थान गौवंशीयपशु(वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) संशोधन अधनियम 2018 की धारा 6 व 6क में दिये गये प्रावधानों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुये बताया कि प्रार्थी को जप्त वाहन सुपुर्दगी में नही दिया जासकता है, उन्होने प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। थाना अधिकारी पुलिस थाना कोतवाली भरतपुर राज0 से प्राप्त रिपोर्ट अवलोकन किया गया। उक्त वाहन गौवंश तस्करी परिवहन में लिप्त पाये जाने पर पुलिस थाना कोतवाली भरतपुर द्वारा गौवंश अधिनियम धारा 3,5/8 में मु0न0 22/2022 में जप्त किया हुआ है। राजस्थान गोवंशीय पशु अधिनियम 1995 की धारा 5 में गोवंशीय पशु को राज्य के किसी भी स्थान से राज्य के बाहर के किसी भी राज्य/स्थान को निर्यात प्रतिबन्धित किया हुआ है। गौवंशीय पशु को जप्त वाहन से राजस्थान सीमा से बाहर हरियाणा राज्य में गौवंश परिवहन में लिप्त पाये जाने पर जप्त किया गया। उक्त अधिनियम की धारा 6 परिवाहक का दुष्प्रेरक होना में अंकित है :–

> ".....जब कभी इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध के किये जाने उद्धेश्य को अग्रसर करने में परिवहन के किसी भी साधन से गोवंशीय पशुओं का परिवहन किया जाये तो परिवाहक उक्त अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी होगा और उसी दण्ड से दण्डनीय होगा जो उक्त अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए अधिनियम की धारा 8 के अधीन उपंबधित है..... ।"

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

इस प्रकार जप्त वाहन गौवंशीय पशु को राजस्थान सीमा से बाहर हरियाणा राज्य में गौवंश परिवहन में लिप्त पाये जाने पर जप्त किया गया। हम ए.पी.पी. के तर्को से सहमत हैं। अस्तु प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी खारिज किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी खारिज किया जाता है। निणर्य प्रति के साथ पत्रावली तहत वापिस पुलिस थानाधिकारी कोतवाली भरतपुर को वापिस लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 3 .6.2022 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

( आलोक रंजन )
जिला कलक्टर,
भरतपुर